संख्या-19/2023/710/एक-1-2023-1-1099/187/2022

प्रेषक,

जी0 श्रीनिवासुलु,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त, 2023**

विषयः ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सिविल अपील नं0-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाव राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रस्तर 15 में निम्नवत् आब्जर्वेशन दिया गया है-

In many states Government orders have been issued by the State Government permitting allotment of Gram Sabha land to private persons and commercial enterprises on payment of some money. In our opinion all such Government orders are illegal, and should be ignored.

तत्क्रम में प्राप्त मा0 महाधिवक्ता, उ0प्र0 की विधिक राय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश संख्य-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दि0 03 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित भूमि अग्रिम आदेशों तक पट्टे पर उपलब्धं नहीं करायी जायेगी।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जी0 श्रीनिवासुलु

सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।